राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1063/2011/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–तृतीय, राजस्थान जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स प्रसून एन्टरप्राईजेज, 2121, बेनी भवन,
नागर पाडे का रास्ता, गणगौरी बाजार, जयपुर. .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा–सदस्य

श्री ईश्वरी लाल वमा– सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/01/2016

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन (राजस्थान) तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 267/अपील्स–चतुर्थ/2009–10 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक **02.12.2010** के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.2008 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण फर्म के प्रोपराइटर श्री पी.पी.सोनी की उपस्थिति में किया जाने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा **"मोबाईल क्रेन्स रोप वायर/स्ट्रेंडेड वायर"** का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से किया जा रहा है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि उक्त माल वेट अधिनियम की अनुसूची–v के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उक्त माल के विक्रय पर 8.5 प्रतिशत कर का अपवंचन/परिवर्जन किया है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर, कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.03.2009 के द्वारा वर्ष 2007–08 में राज्य में की गयी ऐसी अपवंचित बिक्री रू0 55,09,706/–पर वेट अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत कर रू0 4,68,325 व धारा 61 के अन्तर्गत दो गुंणा शास्ति रू0 9,36,650/– तथा धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रू0 84,300/– कुल रू0 14,89,275/– की मांग प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित कर दी गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02.12.2010 के द्वारा आरोपित

लगातार.....2

मांग को अपास्त करते हुए, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर ली गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के विवादित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद मोबाईल क्रेन रोप वायर/स्ट्रेंड वायर की वेट अधिनियम की अनुसूची–IV में स्पष्ट रूप से प्रविष्टि नहीं होने से उक्त माल पर वेट अधिनियम की अनुसूची–V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की करदेयता बनती है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत विवादित माल 'रोप वायर' का मोबाईल क्रेन के अलावा अन्य उपयोग भी सम्भव है, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल पर अनुसूची–V के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, विलम्ब के लिये वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज एवं करापवंचन की मंशा से 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य माल को 4 प्रतिशत की दर से विक्रय किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण विधिनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर समुचित रूप से विचार किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाने में विधिक त्रुटि की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल **'रोप्स वायर/स्ट्रेन्ड वायर'** मोबाईल क्रेन के पार्ट्स के अन्तर्गत आने से इन पर वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 155 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से ही करदेयता बनती है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित माल 'वायर रोप्स' के बिना मोबाईल क्रेन्स पूर्ण नहीं होती, न ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है एवं 'वायर रोप्स' मोबाईल क्रेन्स का एक आवश्यक पुर्जा (Part) है। इस संबंध में वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 155 की ओर ध्यानाकर्षित कर निवेदन किया कि राज्य सरकार ने संचेतन मस्तिष्क से उक्त इन्द्राज संख्या 155 में हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर्स (अर्थ मूविंग एण्ड माईनिंग मशीनरी), मोबाईल क्रेन्स तथा हाईड्रोलिक डम्पर्स मय इनके पुर्जों (Including parts thereof) को भी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफ.डी./टैक्स/2005–51 दिनांक 08.05.2006 एस.ओ. क्रमांक 99 दिनांक 09.05.2006 से शामिल कर दिया है, जो इस तथ्य का प्रतीक है कि मोबाईल क्रेन्स के पुर्जों पर भी अधिसूचित कर दर उक्त इन्द्राज के अनुसार तत्समय 4 प्रतिशत ही है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार ने मोबाईल क्रेन्स के पुर्जों पर कर की दर दिनांक 09.05.2006 से 4 प्रतिशत अधिसूचित की है एवं 'वायर रोप्स' मोबाईल क्रेन्स का पुर्जा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर गठित कमेटी ने भी अपनी राय में यही मत अभिव्यक्त किया है

लगातार.....3

कि 'वायर रोप्स' के बिना मोबाईल क्रेन के कार्य नहीं कर सकने की दशा में, उक्त मोबाईल क्रेन का पुर्जा (Part) ही होगा। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने उक्त कथन के समर्थन में **माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या 207/2012/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन–तृतीय,राजस्थान जयपुर बनाम मै0 प्रसून एन्टरप्राईजेज, जयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 03.01.2013** का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिकृत अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित माल **'मोबाईल क्रेन वायर रोप्स/स्ट्रेन्ड वायर'** का 4 प्रतिशत की दर से विक्रय किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये विवादित आदेश में उक्त माल पर 12.5 प्रतिशत की कर देयता मानते हुए 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज एवं धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति का आरोपण किया गया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा **माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या 132/2010 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.08.2010** के अनुसरण में स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया गया है।

विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत **माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या 207/2012/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन–तृतीय, राजस्थान जयपुर बनाम मै0 प्रसून एन्टरप्राईजेज, जयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 3.01.2013** के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त निर्णय में मोबाईल क्रेन वायर रोप्स के वर्गीकरण एवं करदेयता के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित किये गये विभिन्न निर्णयों की विस्तृत विवेचना करते हुए **'मोबाईल क्रेन वायर रोप्स'** को मोबाईल क्रेन का पार्ट्स मानते हुए वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 155 के तहत 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य होना अवधारित किया गया है।

प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों एवं माननीय न्यायालयों के उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन के पश्चात यह निर्विवादित हो जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल **'मोबाईल क्रेन वायर रोप्स/स्ट्रेन्ड वायर'**, मोबाईल क्रेन का ही पार्ट है एवं इस पर वेट अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्टि संख्या 155 के तहत 4 प्रतिशत की दर से ही करदेयता बनती है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विवादित माल पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज एवं धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के विवादित आदेश को इस सीमा तक अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

लगातार.....4

परिणामतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

6-1-2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य

(सुनील शर्मा)

सदस्य